जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर
(Website : www.jaipurdiscom.in Tel. & Fax No. 0141-2747036)

क्रमांकः जेपीडी / मुकाअ / उनिका(मुख्या.) / प्रे. 1066 जयपुर, दिनांकः 26-05-2014

आदेश

विधुत दुर्धटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा हेतु दिनांक 09.04.13 को विधुत भवन के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें निगम अधिकारियों एवं प्रमुख श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा दुर्धटनाओं के कारणों का उल्लेख करते हुए इन्हें रोकने हेतु विभिन्न सुझाव दिये गये। विस्तृत विवेचन के उपरान्त यह पाया गया की कर्मचारियों की दुर्धटनाओं के प्रमुख कारणों में तकनीकी कर्मचारीयों को उचित व्यवहारिक प्रशिक्षण का अभाव व उनके द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं करने की प्रवृति हैं। इसी प्रकार विद्युत लाईनों व उपकरणों से छेडछाड तथा उनसे होने वाली सम्भावित दुर्धटनाओं के बारे में जानकारी न होने के कारण आम जन की विद्युत दुर्धटनाऐं घटित होती है। यदि दुर्धटनाओं की दर में कमी लाना है तो सभी तकनीकी कर्मचारीयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जावें जिससे कि उनके द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान सुरक्षा साधनो का उचित प्रयोग व पूर्ण सावधानी बरती जावें तथा साथ ही आमजन को भी विद्युत लाईनों व उपकरणों के सम्भाबिल खतरों के बारे में जागरूक किया जावे।

विभिन्न श्रम संघों के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह किया गया कि यदि निगम प्रशासन उन्हें उचित आर्थिक सहायता प्रदान करे तो वे स्वैच्छिक रूप से कर्मचारियों हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण एवं आमजन हेतु जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए तैयार है।

उक्त संगोष्ठी में लिये गये निर्णयानुसार वृत स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता के अधीन सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरुकता शिविर आयोजित करवाने हेतु वृत कार्मिक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। वृत कार्मिक अधिकारी शिविर आयोजन हेतु रू0 दस हजार तक की राशि व्यय करने हेतु अधिकृत होगा। इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक शिविर का कार्यक्रम श्रम संघ द्वारा शिविर तिथि से कम से कम तीन दिवस पूर्व वृत अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसमें शिविर का दिनांक, स्थान, प्रशिक्षणार्थियों का नाम व पदस्थापन, प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली जानकारी आदि का विवरण सम्मिलित होगा। एक उपखण्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों हेतु यथासंभव एक ही शिविर आयोजित किया जाएगा तथा जिन कर्मचारियों को पूर्व में उचित व्यवहारिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है उन्हें श्रम संघ द्वारा आयोजित किये जाने वाले शिविर में पुनः सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शिविर में स्थानीय जनता को भी आमंत्रित कर उन्हें विद्युत लाईनों व उपकरणों के सम्भावित खतरों के बारे में जागरूक किया जावे, जिससे की उनके द्वारा विद्युत लाइनों व उपकरणों से छेडछाड की प्रवृति पर अंकुश लग सके।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)
(वी.पी. पारीक)
मुख्य कार्मिक अधिकारी